

III/ 2014

र विचार

आवेदन में
त है कि
दिनांक
में अर्थात्
है जो
अधिक


तथा 44
ग 5 -
जानकारी
येक दिन
माफ नहीं

47 -
कार को
प्रोदभूत
क्षया जा

47 -
नियत -
षक के
ांक को
सूचना
ना देना

प्रस्तुत
स्त की
व्यालय
ड रुम

लेपर



3-4-14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (मोप्र०)

प्रकरण क्रमांक-

1/2014/निगरानी

II/14

कलावट 5-3-14
माण्डल मध्य प्रदेश निगरानी

कलावट 3-14
माण्डल मध्य प्रदेश निगरानी

सतीश चन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र
आयु-32 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी-ग्राम सतना बाड़ा खुर्द
तहसील व जिला शिवपुरी (मोप्र०)

-----आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला
कलेक्टर शिवपुरी जिला शिवपुरी
(मोप्र०)

-----अनावेदक

निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व
संहिता विलेख आदेश दिनांक 25.03.1992 न्यायालय
कलेक्टर जिला शिवपुरी प्रकरण क्रमांक-65/91-92 स्वनिगरानी
ज्ञाननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रका

प्रस्तुत हैं:-

प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:-

- 1- यहकि, ग्राम सतना बाड़ा खुर्द के भूमि सर्वे क्रमांक-6/
रकवा 1.672 हैवटेयर वर्तमान सर्वे नम्बर-18 रकवा
1.84 हैवटेयर पर आवेदक पूर्व से कृषि कार्य करने का
कारण तथा भूमिहीन होने के कारण मध्य प्रदेश व
निति अनुसार आवेदक द्वारा एक आवेदन न्यायाल
तहसीलदार शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस
प्रकरण क्रमांक-20/89-90/अ-19 में विधिवत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 790/III/ 2014

जिला शिवपुरी

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों
के हस्ताक्षर

31.4.2014

यह निगरानी कलेक्टर जिला शिवपुरी

व्दारा प्रकरण क्रमांक 65/91-92 स्व. निगरानी में
पारित आदेश दिनांक 25-3-92 के विरुद्ध
म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के
अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में
बताया कि सतनवाड़ा खुर्द स्थित पुराना भूमि सर्वे
क्रमांक 6/6 रकबा 1.672 हैक्टर नया सर्वे नंबर
18 रकबा 1.84 हैक्टर का आवेदक कृषक है
जिसका आवेदक को तहसील न्यायालय के आदेश
दिनांक 26-12-89 से पटटा मिला है। तहसील
न्यायालय के प्रकरण को कलेक्टर व्दारा स्वमेव
निगरानी में लिया जाकर कारण बताओ नोटिस
दिया गया था जिसमें आवेदक ने पैरबी हेतु
बकील नियुक्त किया। प्रकरण में 25-3-92 को
आदेश पारित कर पटटा निरस्त कर दिया,
जिसकी जानकारी आवेदक को नहीं दी गई और
न ही आवेदक के नियुक्त अभिभाषक ने कोई
जानकारी दी थी, जिसके कारण निगरानी प्रस्तुत
करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर
सुनवाई की जावे।

निगरानी क्रमांक : 790/III/ 2014

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह निगरानी कलेक्टर शिवपुरी के आदेश दिनांक 25-3-92 के विरुद्ध दिनांक 5-3-14 को अर्थात् लगभग 22 वर्ष के अंतर से प्रस्तुत है जो अत्याधिक विलम्ब रो है तब क्या इतने अधिक विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है ?

1. भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)—धारा-47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 — धारा 5 — विलंब माफी हेतु आवेदन — आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया — प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं — विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959— धारा 47 — अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
3. म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959— धारा 47 — अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथि नियत — अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है — आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया— आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी — प्रथक से सूचना देना आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त कारणों से अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत निगरानी सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

Om Shanti
(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, गवालियर